



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 2013/कार्तिक 18, 1935

No. 257]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 2013/KARTIKA 18, 1935

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 9 नवंबर, 2013

डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण (डीबीएफओओ) आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए दिशा-निर्देश

सं. 23/17/2011-आर एंड आर (खंड-V).—जबकि केंद्र सरकार विद्युत अधिनियम, 2003("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार विद्युत उत्पादन के सुव्यवस्थित विकास के लिए एक सक्षम नीति और विनियामक वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है;

जबकि प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्युत के अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत विनियामक आयोगों और वितरण लाइसेंसियों के लिए आवश्यक है;

जबकि केंद्र सरकार ने विभिन्न पणधारकों और विशेषज्ञों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, विद्युत उत्पादकों से, वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए एक आदर्श संविदात्मक ढांचा तैयार किया है जो 'डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण' ('डीबीएफओओ') आधार पर ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों का निर्माण और प्रचालन करने के लिए सहमत हों,

जबकि, केंद्र सरकार ने, 08 नवंबर, 2013 के अपने पत्र सं. 23/17/2011-आर एंड आर (खंड-V) के माध्यम से दस्तावेज जारी किया है जिसमें मॉडल पात्रता अनुरोध ('एमआरएफव्यू'), मॉडल प्रस्ताव अनुरोध ('एमआरएफपी'), मॉडल विद्युत आपूर्ति करार ('एमपीएसए') (संयुक्त रूप से, 'मानक बोली दस्तावेज') शामिल हैं जिसे डीबीएफओओ आधार पर निर्माण किए गए और प्रचालित किए गए ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों से न्यूनतम प्रशुल्क के प्रस्ताव पर आधारित खुली और पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त विद्युत उत्पादकों से बिजली के अधिप्राप्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा अपनाया जाना है;

इसलिए अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इन दिशानिर्देशों को अधिसूचित करती है जिन्हें 'डीबीएफओओ आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु दिशा-निर्देश' (दिशा-निर्देश) के रूप में जाना जाएगा। ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन रहते हुए इसकी तारीख से प्रभावी होंगे:

1. उपरोक्त मानक बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तें, संदर्भ द्वारा, इन दिशा-निर्देशों का भाग होगी और इन्हें इसी रूप में माना जाएगा।

2. इन दिशा-निर्देशों का लागू किया जाना लगभग 25 वर्ष की अवधि जिसमें किसी भी पक्ष के विकल्प पर 5 वर्ष की अवधि बढ़ाने के प्रावधान सहित निर्माण अवधि शामिल है, के लिए हस्ताक्षर किए गए विद्युत आपूर्ति करारों के अनुसार निर्मित एवं प्रचालित परियोजनाओं तक ही सीमित होगा।

3. मानक बोली दस्तावेजों को शामिल करते हुए इन दिशा-निर्देशों के आधार पर बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित प्रशुल्क अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसरण में उपयुक्त आयोग द्वारा अपनाया जाएगा।

